

पटवारी रिपोर्ट
 श्रीमान की आवाज 280/655 में कपती देवी पुत्री किशना उर्फ
 रामकिशान के नाम की 5000 रु की खसरा नम्बर 280/655
 दिनांक 3/3/92 के कब्जात कपती देवी पुत्री किशना उर्फ
 रामकिशान हि 10 पाई पाट की जमाबंदी अर्थात्

श्रीमान की,
 मुताबिक इनका पटवारी रिपोर्ट व सत्यापन नतीजों
 के दुरुस्ती कीया जाय उचित होगा।

सहसीलदार की रिपोर्ट
 मुताबिक रिपोर्ट पत्रकारी एवं 2-2-100) तथा 3/3/92
 दिनांक 29-9-25

2025
 505

प्रमारी अधिकारी "ग्रामीण सेवा शिविर-2025"

क्रमांक/196

दिनांक- 29-9-25

आदेश

उपरोक्त प्रार्थियों ने मेरे समक्ष उपस्थित होकर उपरोक्त प्रकार से अभिलेख में दुरुस्ती हेतु निवेदन किया गया है एवं इस दुरुस्ती को करने हेतु सहमति लिखित में दी है। पटवारी हत्का की रिपोर्ट एवं भू अभिलेख निरीक्षक की जाँच रिपोर्ट व तहसीलदार नसीराबाद की अनुशंशा अनुसार राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम राताखड़ा तहसील नसीराबाद की जमाबंदी सम्वत् 2074-77 के खाता संख्या 101/100 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टी को निम्नलिखित रूप में शुद्ध किया जाकर राजस्व रेकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते है।

क्र स	पूर्व इन्द्राज का विवरण			स्वीकृत किया गया नया इन्द्राज		
	खातेदार का विवरण	खसरा नम्बर	रकबा	खातेदार का विवरण	खसरा नम्बर	रकबा
1.	कपती देवी पुत्री किशना उर्फ रामकिशान हि-1/20 सा. दे. खातेदार वर्ग। कपती देवी पुत्री किशना हि. 1/20 जाति जाट सा. दे. खातेदार वर्ग। शेष कपती देवी	280/655	0.0400	कपती देवी पुत्री किशना उर्फ रामकिशान हि-1/10 जाति जाट शेष कपती देवी	280/655	0.0400

क्रमांक:- 5083-84

दिनांक:- 29-9-25



जमीन:- 1. तहसीलदार नसीराबाद की पालनाथ / प्रमारी अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद, जिला अजमेर
 2. आदेश पत्रावली।